पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 361/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 23.11.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 23.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

01.थाना सिधारीः जनपद जौनपुर के चन्दवक थाना क्षेत्र से लूट की 01 मोटर साइकिल पल्सर, चोरी की मोटर साइकिल बेचने से प्राप्त मिले पैसो में से बचा 1400 रूपया नगद, 01 अवैध चाकू के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार

➡अवगत कराना है कि दिनांक 05.09.2024 को इन्द्रकेश यादव पुत्र विजयी यादव सा0 हाजीपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल वाहन संख्या UP50BRxxxx सुपर स्प्लेन्डर को चुरा ले गये, के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 332/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी मूसेपुर राजीव कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

➡आज दिनांक 23.11.2024 को उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.अंकुल भारद्वाज पुत्र शिवलाल राजभर सा0 बोदरी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 22 वर्ष 2. आकाश भारद्वाज पुत्र रामचरित्र सा0 लहुआं खुर्द पल्हनां थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष 3. धीरज राजभर पुत्र धर्मेन्द्र राजभर सा0 बोदरी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 24 वर्ष को **जनपद जौनपुर के चन्दवक थाना क्षेत्र से लूट की 01 मोटर साइकिल पल्सर, चोरी की मोटर साइकिल बेचने से प्राप्त मिले पैसो में से बचा 1400 रूपया नगद, 01 अवैध चाकू के साथ छतवारा मेंहनगर रोड से समय करीब 05.40 बजे गिरफ्तार किया गया।**

➡गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि यह गाड़ी मै तथा मेरे ये दोनो दोस्त आकाश व धीरज ने मिलकर पिछले साल इसी महीने में कोईलारी बाजार के पास एक व्यक्ति को पीछे से हम तीनो लोगो ने अपनी गाड़ी से टक्कर मार कर उसको गिराकर यह पल्सर गाड़ी हम लोग लेकर भाग गये थे जो आकाश अपने पास रखे थे पुलिस से बचने के लिए हम लोगों ने नम्बर प्लेट निकाल कर फेंक दिया था।

➡गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 455/2024 धारा 4/25 आयुध अधि0 बनाम धीरज राजभर पुत्र धर्मेन्द्र राजभर सा0 बोदरी थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 24 वर्ष पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1.मु0अ0सं0 454/24 धारा 317(2) बीएनएस थाना सिधारी बनाम 1.अंकुल भारद्वाज 2. आकाश भारद्वाज व 3. धीरज राजभर जनपद जौनपुर

2. मु0अ0सं0 455/2024 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सिधारी बनाम धीरज राजभर पुत्र धर्मेन्द्र राजभर उपरोक्त

आपराधिक इतिहास - आकाश राजभर

1.मु0अ0सं0- 413/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

2.मु0अ0सं0- 108/24 धारा 323/327/427/504/506 भादवि थाना देवगांव आजमगढ़

02.थाना गम्भीरपुर: चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

➡अवगत कराना है कि दिनांक 17.11.2024 को वादी आनन्द यादव पुत्र अशोक यादव ग्राम पिपरी पोस्ट विनापारा थाना निजामाबाद जिला आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 16.11.24 को रात करीब 9 बजे अपनी बाईक स्प्लेंडर जिसका नं.UP 50 AR , से रामकेश यादव निवासी सिंघड़ा थाना क्षेत्र गम्भीरपुर में लड़की की शादी में जाने एवं भोजन करके समय 9.30 बजे वापस आने पर आवेदक की बाईक स्प्लेंडर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी, के सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 420/2024 धारा 303(2) BNS,बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 23.11.2024 को उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त आसिफ पुत्र अख्तर अली निवासी वार्ड न0 10 कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को चोरी गये 01 मोटरसाइकिल के साथ से सम्बंधित चोरी गयी मोटरसाइकिल के साथ छाऊं धऱनीपुर विषया मोड़ से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के बयान से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त साहिल यादव पुत्र राजू यादव निवासी ग्राम ईश्वरपुर थाना गमभीरपुर आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया तथा बरामदगी के आधार पर धारा 317(3) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

03.थाना- मेंहनगर: अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

➡अवगत कराना है कि दिनांक 23.11.2024 को निरीक्षक जयप्रकाश यादव उ0नि0 तुषार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा चेकिंग के सरदार गंज पोखरे के पास एक व्यक्ति नितेश यादव s/o रामबेलास यादव R/O बैरा बछवल थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ उम्र 22 वर्ष को को एक अदद तमंचा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतुस 315 बोर के साथ समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 486/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम नितेश यादव s/o रामबेलास यादव R/O बैरा बछवल थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0स0 410/23 धारा 394,411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़
2. मु0अ0स0 30/23 धारा 3(1)(w), 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) sc/st एक्ट व 323, 354(ख), 452, 504, 506 भादवि थाना मेंहनगर आजमगढ़।

3.मु0अ0सं0 31/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर आजमगढ़

3.मु0अ0सं0 268/22 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

04.थाना- जीयनपुरः अवैध असलहा व कारतूस के साथ अन्तर्जनपदीय शातिर अपराधी गिरफ्तार।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

➡अवगत कराना है कि आज दिनांक 23.11.2024 को उ0नि0 जाफर खान द्वारा मु0अ0सं0 524/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विरेन्द्र यादव पुत्र जमुना यादव नि0ग्राम मोचीपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ उम्र करीब 50 वर्ष को ग्राम अम्मापार रोड ताल सलोना पुरानी पुलिया से नियमानुसार समय 10.20 बजे सुबह में अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया तथा अभियुक्त को नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 524/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 524/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 604/2006 धारा 356/379 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 842/2009 धारा 8/20 NDPS थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 210/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना इब्राहिमपुर जनपद अम्बेडकर नगर

4. मु0अ0सं0 907/2017 धारा 120बी/ 147/148/386/427/506507 भादवि व 27/29/30 आर्मस एक्ट व 7 CLA Act. थाना कैंट जनपद गोरखपुर

5. मु0अ0सं01047/2017 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना कैंट जनपद गोरखपुर

पुलिस झंडा दिवस

आज ही के दिन मिला था यूपी पुलिस का झण्डा, पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना ने किया झंडारोहण, बताया झंडा दिवस का महत्व।

➡आज दिनांक- 23.11.2024 को झंडा दिवस के मौके पर पुलिस लाइन आजमगढ़ के क्वार्टर गार्द पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री हेमराज मीना द्वारा झंडारोहण कर, अपनी वर्दी पर झंडे का स्टीकर लगाया गया। वहीं, पुलिस कर्मियों को झंडा दिवस के महत्व तथा पुलिस मुख्यालय के संदेश को पढते हुए कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, उनके अमूल्य निर्देशन में सुदृढ कानून व्यवस्था एवं अपराध के प्रति जीरो टालरेंस की नीति के अन्तर्गत उ0प्र0 पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप प्रदेश को माफियाओं एवं संगठित अपराधियों से मुक्त करते हुए एक सुरक्षित एवं समृद्ध प्रदेश का निर्माण कर जनता में पुलिस का विश्वास कायम किया गया इसके लिए सभी को बधाई दी गयी।

➡आजमगढ़ पुलिस लाइन में झंडारोहण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि शक्ति एवं निष्ठा के प्रतीक, लाल एवं नीले रंग के ध्वज ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक गौरवमयी पहचान प्रदान की है जिसका सम्मान करना हम सभी का दायित्व है।

➡23 नवम्बर का दिन पुलिस के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य पुलिस है, जिसके अप्रतिम योगदान के फलस्वरूप 23 नवम्बर 1952 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू जी द्वारा पुलिस को ध्वज प्रदान किया गया। 23 नवम्बर 1952 के बाद प्रति वर्ष सैनिक कल्याण के लिए झंडे के स्टीकर जारी किए जाते हैं। प्रति वर्ष पुलिस झंडा दिवस के अवसर (23 नवंबर) को पुलिस मुख्यालयों व कार्यालयों, पीएसी वाहिनियों, क्वार्टर गार्द, थानों, भवनों व कैम्पों पर पुलिस ध्वज फहराए जाते हैं। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पुलिस ध्वज का प्रतीक वर्दी की बांई जेब के ऊपर लगाया जाता है। यह सिलसिला 23 नवंबर 1952 से लगातार जारी है। इस आवसर पर पुलिसलाइन के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर भी झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन, सहायक पुलिस अधीक्षक अनंत चन्द्रशेखर व सभी राजपत्रित अधिकारीगण सहित पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।